



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, थानो रोड़ रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट-www.sssc.uk.gov.in

mail: chayanayog@gmail.com

संख्या: 3095/विज्ञप्ति/2025-26

दिनांक : 12 जनवरी, 2026

विज्ञापन/प्रेस विज्ञप्ति

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के आदेश दिनांक 10.01.2026 के अनुसरण में निम्नलिखित विज्ञापन/प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है-

"मा0 उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 360 वर्ष 2025 में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 10.01.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं- "मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना जारी करे, जिन्हें चयन करने वाली संस्था द्वारा जारी अनंतिम चयन सूची के आधार पर नियुक्त किया गया है, इसके लिए राज्य में व्यापक प्रसार वाले दो प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया जाए, जिनमें से एक अंग्रेजी भाषा में हो सकता है। विज्ञापन दस दिनों के भीतर प्रकाशित किया जाएगा। उस सार्वजनिक सूचना में यह उल्लिखित किया जाएगा कि जो व्यक्ति संबंधित चयन के परिणाम के आधार पर नियुक्त किए गए हैं, वे इन अपीलों में से किसी में भी पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र योजित करके इस न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं और यह भी कि उनकी नियुक्ति इन विशेष अपीलों के परिणाम पर निर्भर करेगी। अपीलकर्ता द्वारा जारी विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर, उस चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्ति इस न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

इन अपीलों को 18.02.2026 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाए। "

अतः उक्त आदेश के क्रम में स्नातक वेतन क्रम (एल.टी.) के अभ्यर्थी जिनके नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये हैं और राज्य सरकार द्वारा जिन्हें उक्त संस्तुति के आधार पर नियुक्त किया गया है, को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि वे अपना पक्ष रखने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में पक्षकार बनना चाहते हैं तो वह मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में पक्षकार बनने हेतु इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन योजित कर पक्षकार बन सकते हैं।

सचिव



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, थानो रोड़ रायपुर, देहरादून।
वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com

संख्या: 3995/ विज्ञप्ति / 2025-26

दिनांक : 12 जनवरी, 2026

Advertisement/Press Release

In pursuance of the order dated 10.01.2026 of the Hon'ble High Court of Uttarakhand at Nainital, the following advertisement/press release is being issued-

In Special Appeal No. 360 of 2025 filed in the Hon'ble High Court, the Division Bench of the Hon'ble High Court of Uttarakhand at Nainital passed the following orders on 10.01.2026-

"Having regard to the facts of case, the applicant is directed to issue to public notice to such persons, who are appointed on the strength of provisional recommendation list issued by the selecting body, by issuing advertisement in two leading news papers having wide circulation within the State, one of which may be in English language. Advertisement shall be published within ten days. In that public notice, it shall be mentioned that persons who have been appointed on the result of selection in question, can approach this Court by filing impleadment application in any of these appeals and further that their appointment shall abide by outcome of these special appeals. Impleadment application may be filed by the persons who are appointed pursuant to the same selection, before this court within three weeks from the date of publication of advertisement issued by applicant.

List these matters on 18.02.2026."

Therefore, in accordance with the said order, the candidates of LT grade whose names have been recommended for appointment by the Uttarakhand Subordinate Selection Commission and who have been appointed by the State Government on the basis of the said recommendation, are hereby given public notice through this notification that if they wish to become a party in the Hon'ble High Court to present their side, then they can file to become a party through impleadment application in the Hon'ble High Court of Uttarakhand at Nainital.

Secretary